कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड,लो0नि0वि0,पोखरी

Phone: 01372-222225
Fax:01372-222225
E-mail:eepmgsypokhari@rediffmail.com

दिनाँक 14/07/2023

पत्रांक 1062 / 1 ग्री वनभूमि

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल से ताली कन्सारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.45 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/ 10123/2015) ।

सन्दर्भ– भारत सरकार का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/117/2015/एफ0सी0/865 दिनांक 14.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के उक्त प्रकरण पर 04 बिन्दुओं पर अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है जिनका अनुपालन निम्नवत है:–

क्र0सं0	आपत्ति का विवरण	निराकरण
1	State Government is requested to provide the detailed reason for the deley of 4 and half years in submission of reply of eds dated 16-01-2019	इस खण्ड द्वारा उक्त प्रकरण पूर्व से ही आपको प्रेषित किया गया था। जिस पर आप द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 3336/12–1 गोपेश्वर के क्रम में दिनांक 01.12.2021 को ही अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था।
2	State Government is requested to deposit the blance of the net-present value (NPV) as per new rates as mentioned on order date 06-01-2022	वर्तमान दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की बढ़ी धनराशि रू0 853115.00 दिनांक 17.05.2023 को इस विभाग द्वारा जमा कर दी गई है। (संलग्न)
3	As per guidelines para 2.4 (i) of the ministry, the State Govt. is requested to submit the copy of Compensatory Afforestation (CA) area as reserve Forest/Protected Forest.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण को Reserved Forest /Protected forest घोषित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही आपके स्तर से ही की जानी है।
4	State govt. is requested to submit the status of CA area plantation along with the photographs.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स चाही गई है। यह बिन्दु भी आपके स्तर से ही सम्बन्धित है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुये अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0 पोखरी।

प्रतिलिपिः–1– सहायक अभियन्ता प्रथम, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी को सूचनार्थ प्रेषित।
2– कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0 पोखरी।

Scanned by Scanner Go